:: कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव जिला–कोण्डागांव (छ०ग०) ::

कोण्डागांव, दिनांक 12 10.2023

पृ. क्रमांक– 1548/II-11-01/2016

यथा आदेश प्रतिलिपिः–

1. न्यायालय – हरेन्द्र नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नारायणपुर की ओर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव द्वारा अनुमोदित उनका दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक क्यू./मु.न्या.मजि./2023 नारायणपुर दिनांक 25.09.2023 मूलतः संलग्न सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

12-10-23

प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या - जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ०ग०)

न्यायालयः– हरेन्द्र सिंह नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नारायणपुर जिला नारायणपुर (छ.ग.)

/ /दांडिक कार्य विभाजन आदेश / /

क्रमांक–क्यू/मु.न्या.मजि./2023 — नारायणपुर, दिनांक 25.09.2023

मैं हरेन्द्र सिंह नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर जिला नारायणपुर (छ0ग0) पूर्व में जारी किये गये समस्त कार्य विभाजन संबंधी आदेशों को अतिष्ठित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14(1) सहपठित धारा 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य निम्नानुसार नवीन कार्य विभाजन करता हूं जो माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0 के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशाली होगा।

क0	स्तम्भ कं.–02	स्तम्भ कं.–03	स्तम्भ कं.–04
1	2	3	4
1	**हरेन्द्र सिंह नाग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर जिला नारायणपुर छ0ग0**	आरक्षी केन्द्र 1) नारायणपुर, 2) बेनूर 3) फरसगांव, 4) झाराघाटी 5) धौडाई 6) छोटेडोंगर 7) धनोरा, 8) आरेछा 9) कुकड़ाझोर, 10) भरण्डा 11) एड़का 12) कुरूषनार 13) कोहकामेटा 14) सोनपुर 15)थाना यातायात नारायणपुर 16)आजक थाना नारायणपुर	1. स्तंभ क0–3 के आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, मोटर यान अधिनियम, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। 2. स्तंभ क0–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना। 3. स्तंभ क0–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 4. स्तंभ क0–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करनां। 5. राजस्व जिला नारायणपुर से उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1922, कम्पनी अधिनियम 1957, धनकर अधिनियम 1957, आयकर अधिनियम 1964, सीमाशुल्क अधिनियम 1962, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969, विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, माईनिंग अधिनियम 1952 का संज्ञान लेना एवं उनका निराकरण करना।

			6 राजस्व जिला नारायणपुर के सभी आरक्षी केन्द्रों एवं राजस्व जिला नारायणपुर के सभी आबकारी वृत्तों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) जिसमें 5 लीटर से अधिक शराब जप्ती से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। 7. आबकारी वृत्त नारायणपुर द्वारा स्तंभी कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर तक के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 8. ऐसे अन्य प्रकरण जो इस कार्य विभाजन आदेश में आबंटित नहीं है तथा ऐसे प्रकरण जो किसी विधि अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय है, उनका निराकरण करना। 9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर, एवं माननीय सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यो एववं मामलों का निराकरण करना। 10. स्तंभ कमांक 03 में वर्णित उनके अधिकारिता रखने वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न संबंधित **सत्र प्रकरणों** एवं **पॉक्सो प्रकरणों** में धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति लेखबद्ध करना। **11.** स्तंभ कमांक 03 में वर्णित उनके अधिकारिता रखने वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न **किशोर न्याय बोर्ड** में विचारणीय प्रकरणों में धारा 164 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति कथन लेखबद्ध करना।

-:आवश्यक टीपः-

1. तालिका स्तंभ कं.-1 में दर्शित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करने हेतु नीचे दिये जा रहे तालिका के स्तंभ कं.-2 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट और उनके अनुपस्थित रहने पर स्तंभ कं-3 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट उनके अनुपस्थित रहने पर स्तंभ कं.-4 को अधिकृत किया जाता है।

2. धारा-195 द.प्र.सं. के तहत लिखित परिवाद नीचे दिये गये तालिका के स्तंभ कं.-1 में उल्लेखित न्यायालय से संबंधित होने की स्थिति में उसी तालिका के स्तंभ कं.-3 मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिये जायेंगे।

3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनके अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेंगे।

4. नीचे लिखी तालिका के अनुसार स्तंभ कं.-1 के मजिस्ट्रेट उस प्रकरण के संज्ञान लेने हेतु अधिकृत रहेंगे जिसमें अभियुक्त जुर्म स्वीकार करना चाहता हो तथा निराकरण करते समय ध्यान रखे कि द.प्र.सं. की धारा-468(2) के उपबंधों की अवहेलना न हो।

5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर के अवकाश पर रहने शासकीय दौरे पर रहने मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके द्वारा लिये जा सकने वाले धारा 164 द.प्र.सं. के कथन एवं संस्वीकृति तालिका कमांक 02 के अनुसार किया जावेगा।

तालिका कमांक 01 निम्नानुसार है :–

न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम				
कं.	स्तम्भ कं.–01	स्तम्भ कं.–02	स्तम्भ कं.–03	स्तम्भ कं.–04
1	हरेन्द्र सिंह नाग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटेट नारायणपुर जिला नारायणपुर छ0ग0	श्रीमती यशोदा नाग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटेट कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0	श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0	श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल, जिला कोण्डागांव छ0ग0

धारा 164 द.प्र.सं. के कथन एवं संस्वीकृति तालिका कमांक 02 के अनुसार लिये जायेगे।

कमांक	आरक्षी केन्द्र का नाम	संस्वीकृति दर्ज करने वाले अधिकारी का नाम
01	02	03
01	1) धौड़ाई, 2) ओरछा 3) भरण्डा, 4) कुरूषनार	श्रीमती यशोदा नाग , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव जिला कोण्डागांव
01	1) नारायणपुर 2) बेनूर 3) छोटेडोंगर 4) कुकड़ाझोर 5) कोहकामेटा 6) सोनपुर	श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0
02	1) फरसगांव 2) एड़का 3) झाराघाटी 4) आजक थाना नारायणपुर 5) धनोरा	श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, केशकाल, जिला कोण्डागांव छ0ग0

यह कार्य विभाजन आदेश अनुमोदन पश्चात तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अनुमोदित
12.10.2023
जिला एवं सत्र न्यायधीश
कोण्डागांव(छ.ग.)

10/10/2023
हरेन्द्र सिंह नाग
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0

स्थान– नारायणपुर
दिनांक– 10/10/2023

प्रतिलिपि:–
1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय कोण्डगांव को सादर सूचनार्थ।
2. माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय कोण्डागांव को सादर सूचनार्थ।
3. माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), महोदय कोण्डागांव को सादर सूचनार्थ।

4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव,जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. श्रीमती अंजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, केशकाल, जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर को समस्त आरक्षी केन्द्र को इस संबंध में सूचना प्रेषित कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
9. जिला अभियोजन अधिकारी, नारायणपुर।
10. श्रीमान अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, नारायणपुर/कोण्डागांव/ केशकाल ।
11. उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रसाधन, नारायणपुर, जिला नारायणपुर छ0ग0।
12. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, नारायणपुर, जिला नारायणपुर छ0ग0 ।
13. जिला आबकारी अधिकारी, नारायणपुर, जिला नारायणपुर छ0ग0।
14. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नारायणपुर, जिला नारायणपुर छ0ग0।
15. वन संरक्षक नारायणपुर, जिला नारायणपुर छ0ग0।
16. वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल नारायणपुर को समस्त वन परिक्षेत्राधिकारी को सूचना प्रेषित कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
17. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर, जिला नारायणपुर छ0ग0।
18. उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन नारायणपुर, जिला नारायणपुर छ0ग0।

स्थान– नारायणपुर
दिनांक– 10/10/2023

हरेन्द्र सिंह नाग
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नारायणपुर जिला नारायणपुर छ0ग0